राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मलसीसर

सीन अधिकारीः– शकुन्तला चौधरी

मुकदमा नम्बरः–15/2020

हरफुलसिंह आयु 60 वर्ष पुत्र चुन्नीलाल जाति जाट निवासी सोनासर तहसील मलसीसर जिला झुंझुन(राज)

–प्रार्थी

बनाम

1. राधाकिशन उम्र 65 वर्ष पुत्र लक्ष्मण जाति जाट निवासी सोनासर तहसील मलसीसर जिला झुंझुनूं।
2. झुंझुनू सहकारी भूमि विकास बैंक लिमिटेड शाखा सायंकालिन झुंझुनू जिला झुंझुनूं जरिये मैनेजर।
3. युनियन बैंक ऑफ इण्डिया शाखा झुंझुनूं जरिये मैनेजर।
4. राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार तहसील मलसीसर जिला झुंझुनूं।

–अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अ.धा 251ए. राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

निर्णय दिनांक :–05.03.2021

निर्णय

प्रार्थी ने प्रार्थना–पत्र मय शपथपत्र जरिये अधिवक्ता इस आशय का पेश किया कि ग्राम सोनासर प.म. सोनासर की सरहद में आराजी ख. नं. 583 रकबा 2.05 है0 भूमि आवेदक की खातेदारी काश्तकारी की भूमि स्थित है। जिसमें प्रार्थी अपने पुख्ता मकान बनाकर आबाद है। प्रार्थी अपनी आजीविका के लिए अपनी भूमि की सिंचाई करके पैदावार करता है। आवेदक के पास अपनी भूमि में ट्रैक्टर, ऊंटगाड़ा, पशु वगैरह ले जाने के लिए अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता मौजुद नहीं है तथा हमेशा से ही आवेदक उक्त रास्ता से अपने खेत में ट्रैक्टर वगैरह लाते जाते रहे है। लेकिन पिछले कुछ समय से अनावेदक नं. 1 उक्त रास्ते को बंद करने की कोशिश कर रहा है। प्रार्थी के खेत ख. नं. 586 में जाने के लिए अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं है। इसलिए आवेदक नजरी नक्शा में लाल स्याही से दर्शित बिन्दू ए से बी तक 12 फुट चौड़ा रास्ता राजस्व रिकार्ड में कटाणी दर्ज कराने हेतु निवेदन किया है। उक्त रास्ते में जाने वाली भूमि के बदले आवेदक डी एल सी दर की दुगुणी दर से भुगतान करने के लिए तैयार है। प्रार्थना पत्र दर्ज किया जाकर अप्रार्थीगण की तलबी वास्ते जवाबदेह की गई।

अनावेदकगण 1 ल0 4 की तलबी जरिये रजि0 एडी से करवाई गई। लगायत 2 बाद सम्यक तामिल अनुपस्थित रहे। इनके खिलाफ एक पक्षिय कार्यवाही कर एक्स पार्टी की गई।

प्रकरण में मौके की स्थिति बाबत तहसीलदार मलसीसर से जांच रिपोर्ट ली गई। जांच रिपोर्ट के अनुसार हरफुल सिंह पुत्र चुन्नीलाल जाति जाट के नाम ख. नं. 583 रकबा 2.05 है0, ख. नं. 886 रकबा 0.06 है0 खातेदारी दर्ज है तथा राधाकिशन पुत्र लक्ष्मण जाति जाट निवासी सोनासर के नाम ख. नं. 581 रकबा 0.12 है0 , ख. नं. 582 रकबा 1.61 है0 खातेदारी दर्ज राजस्व रिकार्ड है। मौके पर ख. नं. 581 व 582 की पश्चिमी सीमा के सहारे झुंझुनू –सोनासर सड़क है। आवेदक हरफुल सिंह सड़क से ख. नं. 581 में से अपने खेत तक 12 फुट चौड़ा रास्ता चाहता है। झुंझुनू से सोनासर सड़क से आवेदक के ख. नं. 586 तक ख. नं. की लम्बाई 335 फुट है। इस प्रकार 335x12वर्ग फुट यानी 4020 वर्ग फुट भूमि रास्ते में आयेगी। इस रास्ते के अलावा ख. नं. 583 में आने के लिए कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं है। इसलिए प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर वांछित रास्ता कीमतन दिया जाना उचित एवं न्यायोचित है।

आदेश

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है कि ग्राम सोनासर में झुंझुनू–सोनासर सड़क के पूर्व दिशा में स्थित ख. नं. 581 में से 335 फुट लम्बा व 12 फुट चौड़ा यानी 335x12=4020 वर्गफुट रास्ता ख. नं. 583 में जाने के लिए डी एल सी दर का दो गुणा कीमत पर रास्ता कायम किया जाता है। तदनुसार तहसीलदार मलसीसर रास्ते की कीमत तय करें तथा नियमानुसार रास्ते में समायोजित होने वाली भूमि की कीमत खातेदार को भुगतान किया जाना सुनिश्चित करें तथा उक्त रास्ता कायम कर राजस्व रिकार्ड व नक्शा में तरमीम कर राजकीय रास्ता अंकित करें।

(शकुन्तला चौधरी)
उपखण्ड अधिकारी
मलसीसर

निर्णय आज दिनांक 05.03.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मलसीसर

(शकुन्तला चौधरी)
उपखण्ड अधिकारी
मलसीसर